"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 437] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 नवम्बर 2016— अग्रहायण 7, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्रमांक 11402/डी. 273/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-11-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 33 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2014

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्रमांक 20 सन् 1981) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्रमांक 20 सन् 1981) की धारा 5 की उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(4) प्रमुख सचिव/सचिव या सेवा में नियुक्त अन्य व्यक्ति को, उसकी 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने अथवा उसकी 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात्, जो भी पूर्वतर हो, किसी भी समय, बिना कोई कारण बताये, उसे तीन माह की लिखित सूचना देकर, लोकहित में सेवानिवृत्त किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि सूचना के स्थान पर अंतिम आहरित दर से तीन माह के वेतन का भुगतान करके, सेवानिवृत्ति को तत्काल प्रभावशील किया जा सकेगा."

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्रमांक 11402/डी. 273/21-अ/प्रारू./छ. ग./16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-11-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 33 of 2016)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SACHIVALAYA SEVA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva Adhiniyam, 1981 (No. 20 of 1981)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty- fifth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva (Sanshodhan) Adhiniyam , 2014.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 5.

2. For sub-section (4) of Section 5 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva Adhiniyam, 1981 (No. 20 of 1981), the following shall be substituted, namely :-

"(4) The Principal Secretary/Secretary or any other person appointed to the service may, in the public interest, be retired at any time after he/she has completed 20 years qualifying service or he/she attains the age of 50 years, whichever is earlier, without assigning any reason by giving him/her a written notice of three months :

Provided that the retirement can be made effective forthwith on payment of three months salary at the rate last drawn in lieu of the notice."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.